Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रामप्रसाद बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **300** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी रामप्रसाद पिता आनन्दीलाल जायसवाल निवासी शक्तिनगर, डगला का खेडा पुलिस थाना चन्देरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना चंदेरिया में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 138/2021 दिनांक 15.07.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में जब्त शुदा वाहन ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 RB 1621** एवं ट्रोली नम्बर **RJ09EV0056** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जाफ्ता फौजदारी के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना चन्देरिया से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया द्वारा पत्रांक/3225 दिनांक 29.11.2021 से अवगत कराया गया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया द्वारा प्रेषित टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना चन्देरिया द्वारा वाहन वाहन ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 RB 1621** एवं ट्रोली नम्बर **RJ09EV0056** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन वाहन ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 RB 1621** एवं ट्रोली नम्बर **RJ09EV0056** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रूपये **08,00,000/-** अक्षरे आठ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 27.09.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official